

01/6/26

पत्रावली पारसे निम्न पेपर डी 9300-
पारी उप. विभाग प्रथम स्तर रिक्त
पार- वाद करिगज स्तर रिक्त पाठार्थ
विस्तृत निम्न शाहिर रिक्त गण रिक्त
फरि ला नंबर से करे ला

आरेत मुगार गण

M
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (यज.)

GCMS
2026/7

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी— भरत जय प्रकाश मीना, आई.ए.एस.

वाद संख्या:- 4/2026 (पुराना वाद संख्या:- 121/2014)
जीसीएमएस :- 2026/7

ता.दायरा:- 05.01.2026

—: अनवान :-

1. भवानीशंकर पुत्र हुलासमल जाति सोनी निवासी वार्ड न. 11, सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
2. सरस्वती देवी पत्नी भवानीशंकर जाति सोनी निवासी वार्ड न. 11 सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

.....वादीगण

बनाम

1. रेवन्ती पत्नी टीकूराम जाति जाट निवासी रंगमहल तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
2. जगदीश पुत्र टीकूराम जाति जाट निवासी रंगमहल तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
3. शाखा प्रबन्धक, पीएनबी बैंक शाखा सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
4. तहसीलदार सूरतगढ़ भूमि धारक।
5. उप-पंजीयक सूरतगढ़।

.....प्रतिवादीगण



वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,53, 209 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित:-

1. श्री भागीरथ बिश्नोई, अधिवक्ता वादीगण
2. पैरोकार राज नायब तहसीलदार सूरतगढ़।

— :: निर्णय ::—

दिनांक:- 01.06.2026

पत्रावली पेश हुई। वकूलाय फरीकेन उपस्थित। वाद पत्र में दिनांक 18.06.2024 (वाद संख्या 121/2014) को जारी प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार सूरतगढ़ से विभाजन प्रस्ताव क्रमांक भूअ./2025/5046 दिनांक 17.11.2025 प्राप्त हुआ। वादीगण के अभिभाषक उपस्थित तथा उक्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार खाता विभाजन करने पर अपनी सहमती प्रदान की हैं। तहसीलदार सूरतगढ़ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव व संलग्न जमाबंदी अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 रेवन्ती के नाम से वर्तमान रिकार्ड

**उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)**

में कृषि भूमि नहीं हैं। इसलिए वाद पत्र मुताबिक विभाजन प्रस्ताव डिक्री किया जाना उचित समझता हूँ।

अतः मुताबिक खाता विभाजन प्रस्ताव के खाता विभाजन की स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्न अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 का खाता विभाजन किया जाता है :-

भवानीशंकर पुत्र हुलासमल 0.886 हैक्., सरस्वती पत्नी भवानीशंकर 0.632 हैक्. जाति सोनी निवासी वार्ड न. 11 सूरतगढ़ खातेदार

चक 43 एस.टी.जी. प्रथम पटवार हल्का रंगमहल तहसील सूरतगढ़ के पत्थर नम्बर 5/373 मु.न. 44 किला नम्बर 12/0.253, 13/0.253, 16/2/0.127, 17/0.253, 18/0.253, 19/0.253, 21/1/0.029(उत्तरीपासा), 22/1/0.029(उत्तरीपासा), 23/1/0.028(उत्तरीपासा), 24/1/0.028(उत्तरीपासा), 25/1/0.012 (उत्तरी पासा) = 1.518 नाली दायम, रहन पंजाब नेशनल बैंक शाखा सूरतगढ़



जगदीश पुत्र टीकूराम जाति जाट निवासी रंगमहल खातेदार

चक 43 एस.टी.जी. प्रथम पटवार हल्का रंगमहल तहसील सूरतगढ़ के पत्थर नम्बर 5/373 मु.न. 44 किला नम्बर 21/2/0.224(दक्षिणीपासा), 22/2/0.224(दक्षिणीपासा), 23/2/0.225(दक्षिणीपासा), 24/2/0.225(दक्षिणीपासा), 25/1/0.114(दक्षिणीपासा) = 1.012 हैक्टेयर नाली दायम, रहन राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा सूरतगढ़

उक्त अनुसार खाता विभाजन किया जाता है। रकम राज अलग-अलग कायम की जावे। भूमि अगर रहन है तो जिस पक्षकार का ऋण लिया हुआ है उसके खाते में रहन का नोट लगाया जावे। तहसीलदार सूरतगढ़ इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करे। परचा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैंसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 01.06.2026 को सुनाया गया।

(भरत जय प्रकाश मीना)

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)
सूरतगढ़।

(आदेश 21 नियम 6-7 जाब्ता दीवानी)

-:: परचा डिक्री ::-

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी- भरत जय प्रकाश मीना, आई.ए.एस.

-: अनवान :-

1. भवानीशंकर पुत्र हुलासमल जाति सोनी निवासी वार्ड न. 11, सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
2. सरस्वती देवी पत्नी भवानीशंकर जाति सोनी निवासी वार्ड न. 11 सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

.....वादीगण

बनाम

1. रेवन्ती पत्नी टीकूराम जाति जाट निवासी रंगमहल तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
2. जगदीश पुत्र टीकूराम जाति जाट निवासी रंगमहल तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
3. शाखा प्रबन्धक, पीएनबी बैंक शाखा सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
4. तहसीलदार सूरतगढ़ भूमि धारक।
5. उप-पंजीयक सूरतगढ़।

.....प्रतिवादीगण




वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53, 209 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 मुकदमा न. 4 वर्ष 2026(पुराना वाद संख्या 121/2014) यह मुकदमा वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे हाजरी वकील वादीगण श्री भागीरथ बिश्नोई एवं राज पैरोकार के हाजिर होने पर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि :-

मुताबिक खाता विभाजन प्रस्ताव के खाता विभाजन की स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्न अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 का खाता विभाजन किया जाता है :-

भवानीशंकर पुत्र हुलासमल 0.886 हैक्., सरस्वती पत्नी भवानीशंकर 0.632 हैक्. जाति सोनी निवासी वार्ड न. 11 सूरतगढ़ खातेदार

चक 43 एस.टी.जी. प्रथम पटवार हल्का रंगमहल तहसील सूरतगढ़ के पत्थर नम्बर 5/373 मु.न. 44 किला नम्बर 12/0.253, 13/0.253, 16/2/0.127, 17/0.253, 18/0.253, 19/0.253, 21/1/0.029(उत्तरीपासा), 22/1/0.029(उत्तरीपासा), 23/1/0.028(उत्तरीपासा), 24/1/0.028(उत्तरीपासा), 25/1/0.012 (उत्तरी पासा) = 1.518 नाली दौयम, रहन पंजाब नेशनल बैंक शाखा सूरतगढ़


उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

जगदीश पुत्र टीकूराम जाति जाट निवासी रंगमहल खातेदार

चक 43 एस.टी.जी. प्रथम पटवार हल्का रंगमहल तहसील सूरतगढ़ के पत्थर नम्बर 5/373 मु.न. 44 किला नम्बर 21/2/0.224(दक्षिणीपासा), 22/2/0.224(दक्षिणीपासा), 23/2/0.225(दक्षिणीपासा), 24/2/0.225(दक्षिणीपासा), 25/1/0.114(दक्षिणीपासा) = 1.012 हैक्टेयर नाली दौयम, रहन राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा सूरतगढ़

उक्त अनुसार खाता विभाजन किया जाता है। रकम राज अलग-अलग कायम की जावे। भूमि अगर रहन है तो जिस पक्षकार का ऋण लिया हुआ है उसके खाते में रहन का नोट लगाया जावे। तहसीलदार सूरतगढ़ इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करे।

नोज..... × मुबलिंग.....× बाबत.....×..... खर्चा इस मुकदमे में मय सूद बशरह × फसदो की पालना ×..... आज की तारीख से तारीख वसूलया वो तक की अदा करे।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 01.06.2026 को जारी की गई।



(भरत जय प्रकाश मीना)
सपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)